संघ के संयुक्त आयोजन में चलाए बनाये' अभियान के दूसरे चरण में कारियों ने परिण्डे बांधे एवं मॉर्निंग ौर पर इनमें पानी भरने हेतु आग्रह डा मुख्य अतिथि थे। आरतिया के द्र गुप्ता, सतीश माहेश्वरी, सुरेंद्र बज, यपुर के जगन्नारायन जत्ती, आशीष ार मंडल की ओर से राजेन्द्र गुप्ता, ओर से सुभाष गोयल, सुरेश सैनी ने आरतिया एवम जेवीएम को इस

व्यापारी बन्धुओं का स्वागत किया।

अग्रवाल ने कहा कि कम्पनी की स्थापना उच्च गुणवत्ता वाले मसाले के उत्पादन हेतु की गई प्रारम्भ में कम्पनी के केवल मात्र 5 उत्पाद थे, वर्तमान में कम्पनी द्वारा 300 उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ये उत्पाद राजस्थान के अलावा कई राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, असम, बंगाल एव उत्तराखंड के साथ-साथ 24 देशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। अग्रवाल ने बताया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भी श्याम धणी इण्डस्ट्रीज से अनुबन्ध किया है। लक्की ड्रा में गोल्ड ड्रा, सिल्वर ड्रा में चार रॉयल एनफील्ड मोटर साइकिल, 6 एक्टिवा, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन , फ्रीज, सीलिंग फेन, मिक्सर ग्राइंडर सहित विभिन्न इनाम रखे गए है।

टारगेट बंधन स्कीम के साथ आकर्षक लक्की ड्रा में सिल्वर, गोल्ड, एवं प्लेटिनियम श्रेणी के अनुसार एक साथ तीन भागों में लकी ड्रा का शानदार आयोजन किया गया। ड्रा में 10 कूपन से 30 कूपन तक सिल्वर श्रेणी, 40 कूपन से 120 कूपन तक गोल्ड श्रेणी, 140 कूपन से 400 कूपन तक प्लेटिनियम श्रेणी के ड्रा खोले गए।

मिश्रीलाल सांसी, तालीब अली, विट्ठलदास बागडी, ओमप्रकाश स्वामी, अशोक शर्मा, दिलीप चौधरी, खुशबू लोकेश सोनी, ओमप्रकाश चौधरी, ओमप्रकाश भील, नरपत दवे, पुखराज बंजारा आदि ने भूमि पूजन कर किया। सभापति रेखा ने बताया कि दोनों सड़कों का निर्माण पूर्ण होने से आमजन को राहत मिलेगी। पाली शहर के सौन्दर्यीकरण को चार चांद लगेंगे। इस अवसर पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी, चूड़ीघर एसोसिएशन के पदाधिकारी, नया गावं के व्यापारी व हाउसिंग बोर्ड निवासी मौजूद रहे।

नेशनल • इंटरनेशनल

ांट्स के पास कोयले का रिजर्व नॉर्मल का सिर्फ 26%

विद्युत प्राधिकरण ा आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल) से बृहस्पतिवार तक लगभग 163 ल उत्पादन क्षमता वाले ड ताप बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार मानक या सामान्य स्तर का 26 प्रतिशत था। सीईए लगभग 202 गीगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता वाले 173 बिजली संयंत्रों में कोयले भंडार की निगरानी करता है। इनमें लगभग 39 गीगावॉट की कुल उत्पादन क्षमता वाली 18 पिटहेड परियोजनाएं शामिल हैं। कोयला खानों के नजदीक (पिटहेथ) स्थित ताप बिजली घरों के समक्ष सामान्य तौर पर कोयले की कमी की समस्या नहीं आती।

आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार 21 अप्रैल, 2022 को कोयला खानों से दूर स्थित बिजली संयंत्रों के पास 57,033 हजार टन के मानक स्तर के मुकाबले 14,610 हजार टन कोयले का भंडार था। यह सामान्य स्तर का मात्र 26 प्रतिशत बैठता है। हाल के दिनों में खानों से दूर स्थित संयंत्रों में कोयले के भंडार की स्थिति और खराब हुई है। 21 मार्च, 2022 को ऐसे 155 बिजली संयंत्रों के पास कोयले का भंडार 57,616 हजार टन के सामान्य स्तर का 31 प्रतिशत यानी 17,752 हजार टन था। राष्ट्रीय ग्रिड परिचालक पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन के आंकड़ों के अनुसार, 22 अप्रैल, 2022 को व्यस्त समय में बिजली की अधिकतम मांग या एक दिन में सबसे ऊंची आपूर्ति 197 गीगावॉट थी, जबकि व्यस्त समय की बिजली की कमी छह गीगावॉट थी। 22 अप्रैल, 2021 को व्यस्त समय की अधिकतम पूरी की गई बिजली की मांग 167 गीगावॉट और अधिकतम बिजली की कमी 0.63 गीगावॉट थी। विशेषज्ञों ने कहा कि इससे स्पष्ट पता चलता है कि गर्मियां जल्दी आने से मांग करीब 30 गीगावॉट या 17 प्रतिशत बढ़ी है।

सेबी निवेशकों को भुगतान शुरू करे या उस राशि को वापस करें: सहारा

जयपुर/का.सं.। सहारा इंडिया परिवार ने एक बयान जारी कर कहा कि सहारा वर्तमान स्थिति का उतना ही शिकार है जितना कि उसके निवेशक हैं। सेबी के पास सहारा के 25,000 करोड़ रुपये रखे हैं और पिछले 9 वर्षों में सेबी ने निवेशकों को लगभग 125 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया है। यह न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायोचित है। सेबी को निवेशकों के हित में कार्य करना चाहिए। सेबी या तो निवेशकों को भुगतान शुरू करे या उस राशि को सहारा को वापस करे, ताकि हम अपने निवेशकों को भुगतान कर सकें। यह विडम्बना ही है कि एक ओर जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सहारा ने 25,000 करोड़ रुपये मय ब्याज सहारा-सेबी खाते में जमा कराए हैं और यह राशि पिछले 9 वर्षों से सेबी के पास व्यर्थ पड़ा है, वहीं दूसरी ओर हम पर लगे प्रतिबंध के कारण अपनी संपत्ति को बेचकर या गिरवी रखकर सहारा निवेशकों को सीधे भुगतान नहीं कर सकता। जब संपत्तियां प्रतिबंधित हों और उपलब्ध धन सहारा-सेबी खाते में जमा हो तो सहारा अपने निवेशकों को भुगतान करे तो कैसे करे। इन सबके बावजूद सहारा भुगतान तो कर रहा है, लेकिन भुगतान में विलंब हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 25,000 करोड़ रुपये की इस राशि से सेबी ने न तो निवेशकों को भुगतान किया है और न ही यह धनराशि सहारा को वापस की है। सेबी को यह समस्त धनराशि या तो सहारा को वापस कर देनी चाहिए, जिससे कि निवेशकों को भुगतान किया जा सके।

ोर्टर्स को रूस को किए गए एक्सपोर्ट ट मिला, बाकी के लिए प्रयास जारी

और शेष के लिए विभाग भुगतान सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। मुंबई स्थित निर्यातक और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शारदा कुमार सराफ ने कहा कि कुछ निर्यातकों को रूस से उनका फंसा हुआ भुगतान मिला है लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो गया है। सराफ ने कहा, ''सरकार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रूस के साथ तुरंत रुपया-रूबल व्यापार शुरू करना चाहिए।''

लुधियाना स्थित हैंड टूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस सी रल्हन ने भी कहा कि कई निर्यातकों को उनका बकाया मिल गया है क्योंकि सभी बैंक प्रतिबंधों के तहत नहीं हैं। रल्हन ने कहा, ''सरकार को इस मामले में तुरंत कुछ फैसला लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारे निर्यात में बाधा आ सकती है और उन्हें रुपये-रूबल व्यापार की अनुमति देनी चाहिए।''

फियो के उपाध्यक्ष खालिद खान ने कहा कि फार्मा और खाद्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय निर्यातकों को भुगतान मिल रहा है। लेकिन अभी भी कई निर्यातकों को रूस से भुगतान पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक को सभी क्षेत्रों से भुगतान स्वीकार करने के लिए बैंकों को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। फियो के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि जहां निर्यातक लंबित भुगतानों के बारे में चिंतित हैं वहीं वे भुगतान चूक को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं हैं क्योंकि निर्यात आय वापस पाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और उसे भुगतान प्रणालियों से अलग-थलग कर दिया है। इसकी वजह से व्यापार भुगतान की व्यवस्था प्रभावित हुई है। भारत से रूस को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में दवा उत्पाद, चाय, विद्युत मशीनरी और उपकरण, जैविक रसायन और वाहन शामिल हैं।

बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : U65100RJ2008PTC027935

पंजीकृत कार्यालय: 1,तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 (राजस्थान)

ईमेल आईडी: elegantprimedev@gmail.com, सम्पर्क नं. 0141-2225600, 7230995533

संयुक्त सार्वजनिक सूचना

यह नोटिस 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 (''आरबीआई निर्देश'') के अध्याय-आठ के अनुसार बैद हाउसिंग फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड (''बैद एचएफसी'') और सत्या माइक्रोकैपिटल लिमिटेड (अधिगृहणकर्ता) द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है।

बैद एचएफसी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका सीआईएन U65100RJ2008PTC027935 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 (राजस्थान) है, यह एक गैर-जमानती स्वीकार करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत है जिसकी पंजीकरण संख्या 04.0166.18 है।

यह अधिग्रहणकर्ता, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी (सीआईएन-U74899DL1995PLC068688) है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 519, 5 वीं मंजिल, डीएलएफ प्राइम टावर्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1 दिल्ली-110020 में है, यह भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') के साथ पंजीकृत एक एनबीएससी-माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और वर्तमान में इसकी बैद एचएफसी में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैद एचएफसी के सभी मौजूदा शेयरधारक अपनी इक्विटी शेयरधारिता को अधिग्रहणकर्ता को हस्तांतरित करने को इरादा रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आरबीआई के अपेक्षित अनुमोदन के अधीन बैद एचएफसी के नियंत्रण और निदेशकों/प्रबंधन में परिवर्तन होगा तथा शेयरों के हस्तांतरण के उपरांत संपूर्ण शेयरधारिता/प्रबंधन सत्या या सत्या द्वारा नामित किसी व्यक्ति के पास निहित होगा। अधिग्रहणकर्ता द्वारा इसके अधिग्रहण के लिए बैद एचएफसी को पहले ही 22 अप्रैल, 2022 के पत्र संख्या DOR.HOL No. S463/27.01.001/2022-23 के माध्यम से आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

उपरोक्त लेनदेन बैद एचएफसी को अधिग्रहणकर्ता की वित्तीय और भौगोलिक पहुंच का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। अधिग्रहणकर्ता समाज के किफायती और निम्न-आय वर्ग के वित्तपोषण में उद्योग की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और अपनी डोमेन विशेषज्ञता द्वारा बैद एचएफसी का दीर्घकालीन विकास में योगदान देगा।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित लेनदेन से प्रभावित होने की संभावना है और उसे इस संबंध में कोई आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर कंपनी को संचार के निम्नलिखित तरीकों में से किसी भी माध्यम द्वारा अपने हित की प्रकृति और आपत्ति के आधार का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचित कर सकता है।

(ए) श्री आदित्य बैद, निदेशक एचएफसी को उनके पंजीकृत कार्यालय- 1, तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-302006 (राजस्थान) को संबोधित पत्र द्वारा

(बी) बैद एचएफसी को ई-मेल आईडी elegantprimedev@gmail.com पर ई-मेल करें।

इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधिग्रहणकर्ता और बैद एचएफसी की वेबसाइट www.satyamicrocapital.com और www.baidhfc.com पर भी उपलब्ध है।

	कृते बैद एचएफसी	कृते अधिग्रहणकर्ता
	हस्ता./-	हस्ता./-
दिनांक: अप्रैल 25, 2022	आदित्य बैद	विवेक तिवारी
स्थान: जयपुर	निदेशक	प्रबन्ध निदेशक, सीईओ व सीआईओ